फर्द अहकाम

न्यायालय ACM Chomu

रघुवीर सिंह बनाम मोतीसिंह वगै०

मुकदमा संख्या / वर्ष 182 CPC 19 / 2021

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		नहीं है अतः इनकी तामील काफी जानकर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 05/8/24 को पेश हो।	
	05/8/24	प.क्र.उप.। पत्रावली वास्ते जवाब हेतु आगामी दिनांक 05/9/24 को पेश हो।	
	05/9/24	प.क्र.उप.। आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से जवाब पेश करे अन्यथा जवाब का अवसर स्वतः बन्द माना जावेगा। पत्रावली आगामी दिनांक 18/9/24 को पेश हो।	
	18/9/24	प.क्र.उप.। अप्रार्थी सं. 2 को जवाब वास्ते पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया जाता है पत्रावली वास्ते बहस प्रा. पत्र हेतु दिनांक 14/10/24 को पेश हो।	
	14/10/24	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य [illegible] रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 22/10/24 को पेश हो।	

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
	28/10/24	व.प्र. उप./ पत्रावली वास्ते बहस हेतु आगामी दिनांक 06/11/24 को पेश हो।	
	6/11/24	वकीलों द्वारा … कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 18/11/24 को पेश हो।	
	18/11/24	व.प्र. उप./ पत्रावली वास्ते बहस हेतु आगामी दिनांक 21/11/24 को पेश हो।	
	21/11/24	व.प्र. उप./ पत्रावली वास्ते बहस हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 06/12/24 को पेश हो।	
	06/12/24	व.प्र. उप./ बहस प्रा.पत्र 151 CPC पर सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा.कि. किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। रघुवीर सिंह सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारीः–प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र संख्या :–19/2021

उनवान

रघुवीर सिंह पुत्र जयसिंह, उम्र 62 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम छोटागुढ़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रार्थी–

बनाम

1. मोतीसिंह पुत्र बजरंग सिंह, उम्र 72 वर्ष
2. मुकुनसिंह उर्फ मुकनसिंह पुत्र बजरंग सिंह, उम्र 80 वर्ष
3. लक्ष्मण सिंह उर्फ लिछमण सिंह पुत्र बजरंग सिंह, उम्र 75 वर्ष
4. शिवपाल सिंह उर्फ श्योपाल सिंह पुत्र बजरंग सिंह, उम्र 60 वर्ष
5. भंवर सिंह पुत्र मुकन सिंह, उम्र 50 वर्ष
6. प्रभू सिंह पुत्र मुकन सिंह, उम्र 45 वर्ष
7. राजवीर सिंह पुत्र मुकन सिंह, उम्र 40 वर्ष
8. गजेन्द्र सिंह पुत्र मुकन सिंह, उम्र 43 वर्ष
9. श्यामसिंह पुत्र मोती सिंह, उम्र 45 वर्ष
10. दलीप सिंह पुत्र मोती सिंह, उम्र 42 वर्ष
11. बबूल सिंह पुत्र मोती सिंह, उम्र 35 वर्ष
12. रणजीत सिंह पुत्र प्रभू सिंह, उम्र 30 वर्ष
13. टिनू सिंह पुत्र शिवपाल सिंह, उम्र 30 वर्ष
14. श्रवण सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह, उम्र 55 वर्ष

समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम छोटागुढ़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी.</u>

<u>आदेश</u>

दिनांकः–06.12.2024

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी ग्राम छोटागुढ़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का रहने वाला काश्तकार पेशा व्यक्ति है, जो कि काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। वाके ग्राम छोटागुढ़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमियां खसरा नं0 544, 548, 560, 550/917, 559/918, 651/919, 650/920, 649/921, 546/1054, 547/1055, 642/1166 कुल किता 11 का कुल रकबा 5.45 हैक्टेयर व खसरा नं0 116, 117, 415, 484, 486, 522, 529, 634, 639, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 638/925, 559/926, 653/927, 559/918/1136,

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

561/919/1138, 650/920/1139, 649/921/1140, 647/922/1168 कुल किता 27 का कुल रकबा 15.50 हैक्टेयर व खसरा नं0 53, 72, 73, 77, 78, 79, 93, 94, 95, 100, 101, 96/916, 96/978, 104/980 कुल किता 13 का कुल रकबा 6.13 हैक्टेयर के बाबत वाद सं0 586/131/2001 व प्रार्थना पत्र सं0 417/118/2001 में न्यायालय श्रीमान द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 25.06.2001 में विवादित भूमियों की मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की वर्तमान स्थिति यथावत बनाये रखने के आदेश जारी थे तथा इसी आराजी के बाबत एक वाद बाबत घोषणा, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 द्वारा अन्य सहखातेदारों व प्रार्थी के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद सं0 41/2018 व प्रार्थना पत्र सं0 32/2018 उनवानी मुकुन सिंह बनाम कमोद कंवर वगै0 में न्यायालय श्रीमान द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 23.10.2019 को इस आशय का स्थगन जारी किया था कि उभय पक्षों को आगामी पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि खसरा नं0 116, 117, 415 कुल किता 3 का कुल रकबा 1.85 हैक्टेयर, खसरा नं0 100, 101, 104/980, 53, 72, 73, 77, 78, 79, 93, 94, 95, 96/916, 96/978 कुल किता 14 का कुल रकबा 6.13 हैक्टेयर वाके ग्राम छोटागुढ़ा, पटवार हल्का गुडलिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर व खसरा नं0 544, 546/1054, 547/1055, 548, 550/916, 959/918, 560, 642/1161, 649/921, 950/920, 951/919 कुल किता 11 का कुल रकबा 5.45 हैक्टेयर, खसरा नं0 484, 486, 522, 529, 559/1136, 559/926, 634, 639, 643 ता 647, 647/1168, 648, 649, 649/1140, 650, 650/1139, 651, 651/1138, 652, 653/927 कुल किता 23 का कुल रकबा 13.50 हैक्टेयर वाके ग्राम कीरतसिंह का बास, पटवार हल्का गुडलिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे, जिस स्थगन आदेश की अप्रार्थीगण सं0 1 ता 14 को पूर्ण जानकारी रही है। प्रार्थी के कब्जेकाश्त की भूमि पुश्तैनी साबिक खसरा नं0 36 हाल खसरा नं0 73 रकबा 1.47 हैक्टेयर भूमि पर न्यायालय श्रीमान के स्थगन आदेश दिनांक 25.06.2001 व उनवानी रघुवीर सिंह बनाम गोरधन सिंह वगै0 व स्थगन आदेश दिनांक 23.10.2019 उनवानी मुकन सिंह बनाम कमोद कंवर वगै0 में भी स्थगन आदेश प्रभावी रहा है व वर्तमान में भी प्रभावी चल रहा है। उक्त स्थगन की कहीं भी कोई अपील नहीं की गई है। मात्र मुकदमा नं0 417/118/2001 में स्थगन आदेश दिनांक 25.06.2001 की अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के पेश की थी जिस आदेश में भी मात्र क्रियान्विति स्थगित की गई थी तथा उक्त क्रियान्विति दिनांक 05.08.2021 तक थी। उक्त तारीख पेशी के बाद दिनांक 05.08.2021 से आगामी तारीख पेशी जनरल 14.09.2021 दी गई व उसके बाद दिनांक 14.09.2021 को जनरल तारीख पेशी 05.10.2021 दी गई तथा दिनांक

सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

05.10.2021 को जनरल आगामी तारीख पेशी 09.11.2021 दी गई तथा दिनांक 09.11.2021 को जनरल तारीख पेशी 14.12.2021 दी गई तथा उक्त स्थगन आदेश की अवधि आगामी पेशी तक आगे नहीं बढ़ाई गई जबकि स्थगन आदेश की क्रियान्विति दिनांक 05.08.2021 तक ही प्रभावी रही है, उसके बाद अदालत द्वारा स्थगन आदेश की अवधि आगे नहीं बढ़ाई गई है एवं उक्त स्थगन आदेश दिनांक 25.06.2001 व 23.10.2019 को प्रभावी रहते हुए गलत रुप से खसरा नं0 73 रकबा 1.47 हैक्टेयर भूमि जो कि पारिवारिक भाई बंटवारे में प्रार्थी के कब्जे में आई थी जिस पर प्रार्थी पुश्तैनी रुप से काबिज काश्त चला आ रहा था जिसको स्थगन आदेशों के प्रभावी रहते अप्रार्थीगण सं0 1 ता 14 ने मौके पर एकराय होकर हथियारें से लेस होकर दिनांक 19.11.2021 को प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं0 73 रकबा 1.47 हैक्टेयर पर अवैद्य व गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण कर कब्जा करने व मौका स्थिति में परिविर्तन करने हेतु मौके पर सीमेन्ट के खम्भे करीब 20 व लोहे के तीन तार व लोहे की जाली लगा दी गई व लोहे के 4 चद्दर लगा दिये। प्रार्थी व उसके परिवारजन जोकि खसरा नं0 73 रकबा 1.47 हैक्टेयर में मय परिवार के निवास करते चले आ रहे हैं, जिन्होंने अप्रार्थीगण सं0 1 ता 14 को मना किया व काफी समझाया एवं कहा कि न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है व स्थगन आदेश दिनांक 25.06.2001 व 23.10.2019 लगा हुआ है। आप किसी भी प्रकार से अतिक्रमण या कब्जा नहीं करें लेकिन अप्रार्थीगण सं0 1 ता 14 उग्र हो गये व प्रार्थी को अभद्र गाली–गलौच व जान से मारने पर उतारु हो गये। तब प्रार्थी ने 100 नम्बर कन्ट्रोल रुम पर फोन किया तब मौके पर पुलिस थाना गोविन्दगढ़ की पुलिस मौके पर आई द उक्त व्यक्तियों को खम्भे व तारबन्दी करने से मना किया तब उक्त अप्रार्थीगण मौके से चले गये तथा प्रार्थी ने दिनांक 19.11.2021 को पुलिस थाना गोविन्दगढ़ में रिपोर्ट दी गई जिसकी रसीद क्रमांक 80 व परिवाद नम्बर 642 श्री बीरबल सिंह एचसी 602 के जुम्मे करीब शाम 7.30 बजे दर्ज हुई थी। उक्त अप्रार्थीगण पुनः दिनांक 20.11.2021 को विवादित भूमि में खम्भे व तार लगाने लगे तब पुनः प्रार्थी ने पुलिस थाना गोविन्दगढ़ व 100 नम्बर कन्ट्रोल रुम में फोन किया गया तथा प्रार्थी द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्राम खेजरोली में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी चौमूं को भी एक प्रार्थना पत्र दिनांक 20.11.2021 को पेश किया जिस पर उपखण्ड अधिकरी महोदय चौमूं द्वारा पुलिस थाना गोविन्दगढ़ को आवश्यक कार्यवाही करने व मौके पर कानून व शान्ति व्यवस्था बनाये रखने को लिखा गया जो प्रार्थना पत्र आर.ए. 514 दिनांक 20.11.2021 है जिस पर मौके पर पुलिस थाना गोविन्दगढ़ की पुलिस पहुंची व उक्त व्यक्तियों को पाबन्द किया गया लेकिन उक्त व्यक्ति पुलिस की बमौजूदगी में जबरन लठ के बल पर खम्भे व तारबन्दी व लोहे की जाली लगा दी जो कि उक्त कृत्य न्यायालय श्रीमान के स्थगन आदेश दिनांक 25.06.2001 व 23.10.2019 का

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

सरेआम उल्लंघन किया गया है। उक्त अप्रार्थीगण सं0 1 ता 14 जो कि स्थगन आदेशों की जानबूझकर अवहेलना की गई है तथा प्रार्थी के पुत्र भंवर सिंह ने उक्त कृत्य की शिकायत दिनांक 22.11.2021 को पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण, जयपुर को भी दी गई जिसकी रसीद क्रमांक 2017 है। अप्रार्थीगण सं0 1 ता 14 के उक्त कृत्य के विरुद्ध पुलिस थाना गोविन्दगढ़ द्वारा प्रार्थी व उसके पुत्रों के विरुद्ध व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 14 के विरुद्ध एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107, 116 (3) जाप्ता फौजदारी का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमूं के दिनांक 20.11.2021 को पेश किया गया, जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.11.2021 नियत है। प्रार्थी व उसके परिवारजन जो कि कानून में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं जिन्होने मान्य न्यायालय के समक्ष आदेश दिनांक 25.06.2001 व दिनांक 23.10.2019 की हर समय पालना कर रहे हैं लेकिन अप्रार्थीगण जो कि संख्या में अधिक हैं तथा भू–माफिया गिरोह से सांठगांठ रखते हैं जिन्होने दिनांक 19.11.2021 व दिनांक 20.11.2021 को जबरन लठ के बल पर हथियारों से लेस होकर प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जे व भाई बंटवारे की भूमि खसरा नं0 73 रकबा 1.47 हैक्टेयर की मौका स्थिति में परिवर्तन करने की नियत से स्थगन आदेशों के प्रभावी रहते मौके पर करीब 20 खम्भे सीमेन्ट के व तीन लोहे के तार व लोहे की जाली व चार लोहे के चद्दर लगा लिये गये। उक्त विवादित भूमियां जो कि वाद पत्र सं0 586/131/2001 उनवानी रघुवीर सिंह बनाम गोरधन सिंह वगै0 में न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार नायब तहसीलदार चौमूं के द्वारा दिनांक 10.09.2010 की मौका रिपोर्ट बनाकर न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश की जिस मौका रिपोर्ट में भी खसरा नं0 73 रकबा 1.47 हैक्टेयर, खसरा नं0 72 गै0मु0 चाह पर प्रार्थी व उसकी माता सायर कंवर का कब्जा माना है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर यह अनुतोष चाहा गया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित भूमि खसरा नं0 73 रकबा 1.47 हैक्टेयर वाके ग्राम छोटागुढ़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के न्यायालय श्रीमान के आदेश दिनांक 25.06.2001 व दिनांक 23.10.2019 के प्रभावी रहते अप्रार्थीगण सं0 1 ता 14 द्वारा अवैध व गैर कानूनी अतिक्रमण की नियत मौका स्थिति में परिवर्तन करने के लिए मौके पर खसरा नं0 73 रकबा 1.47 हैक्टेयर भूमि के 1/2 भाग उत्तरी हिस्से पर करीब 20 सीमेन्ट के खम्भे व तीन लोहे के तार खम्भों के व लोहे की जाली लगा दी व चार लाहे की चद्दर रख लिये, जिनको जरिये पुलिस इमदाद मौके से हटाया जाकर मौके की पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी खसरा नं0 73 का कोई खातेदार नहीं है तथा अप्रार्थीगण द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं कर मात्र स्वयं की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि की सीमा पर तारबन्दी की थी तथा जिस समय तारबन्दी की गई उस समय किसी भी न्यायालय का कोई भी स्थगन नहीं था। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस बताए गए स्थगन आदेश दिनांक 25.06.2001 मुकदमा नं0 417/118/2001 में आदेश की क्रियान्विति राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर द्वारा दिनांक 15.07.2021 को स्थगित कर दी गई थी व एक अन्य स्थगन दिनांक 23.10.2019 से संबंधित पत्रावलियां न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 07.03.2022 को विड्रॉ के आधार पर खारिज की जा चुकी हैं। चूंकि प्रार्थी कब्जा प्राप्त करने का अनुतोष चाहता है जो प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 के प्रावधानों के अधीन नहीं आता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे प्रार्थी विवादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार हो। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 का पोषणीय maintainable नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. का खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 06.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
चौमूँ

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)